

## भाग - II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या .....

7-	परियोजना स्कीम का स्थान	जनपद-देहरादून में मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमल बैक जोन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है। प्राइवेट नांटिफाईड वन भूमि का गैर वानिकी कार्याँ हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि प्रस्ताव।
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	देहरादून
(iii)	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेवटेअर में)	0.165 है। वन भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	प्राइवेट नांटिफाईड वन भूमि, रॉक विलफ इस्टेट
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.1-0.2 (Eco class-VI)
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणामना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिणामना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाएँ।	प्रस्तावित चयनित स्थल के आस-पास बांज प्रजाति के कुल 26 वृक्ष स्थित हैं, जिसमें से परियोजना के निर्माण से कुल 09 बांज के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी सूची संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में संलग्न है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	इस बावत प्रस्तावक को भू-वैज्ञानिक की आख्या प्रस्ताव में पृष्ठ सं0-29 से 31 पर चर्चा किया गया है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	परियोजना हेतु प्रस्तावित कार्य स्थल मसूरी वन प्रभाग के मसूरी रेंज कार्यक्षेत्रान्तर्गत प्राइवेट नांटिफाईड वन भूमि की सीमा अन्तर्गत है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाएँ)	नहीं। इस बावत वन विभाग द्वारा प्रस्ताव के प्रपत्र/पृष्ठ सं0 20 पर तत्संबंधी प्रमाण पत्र चर्चा किया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियाँ पायी जाती हैं। यदि हां तो तत्संबन्धी व्यौरा दें।	— नहीं —
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत प्रस्तावक, वन एंव राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 37 पर तत्संबंधी प्रमाण पत्र चर्चा किया गया है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद-वार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक, राजस्व एंव वन विभाग द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं0 36 पर तत्संबंधी प्रमाण पत्र चर्चा किया गया है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	— नहीं —
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	प्रस्तावित कार्य हेतु अपेक्षित वन भूमि 1.00 है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राविधान नहीं किया गया है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	प्रस्तावित कार्य हेतु अपेक्षित वन भूमि 1.00 है। अतः प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित कार्य स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 25 पर चर्चा है। वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल परियोजना क्षेत्र से लगा है।

(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/ अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियां:- जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। कार्यान्वयन एजेंसी:- स्वयं वन विभाग। समय:- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	प्रस्तावित कार्यस्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण का प्रावक्तव्य प्रमाणित कर चस्पा किया गया है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपर्युक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्रस्तावित कार्यस्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण का प्रावक्तव्य प्रमाणित कर चस्पा किया गया है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें )	संलग्न है।
12.	जिला प्रोफाइल	जिला- देहरादून
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	308800 है0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	211691 है0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 517 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 21492.77 है0 है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :- (ख) वनेतर भूमि पर:-	(क) 6223.66 है0 (ख) 1724.75 है0
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति:- (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	(क) 5088.38 है0 (ख) 1724.75 है0
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एंव स्थानीय विधि एंव नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एंव प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

दिनांक: 12.01.2021

स्थान:- मसूरी,

हस्ताक्षर

नाम: (कहकशा नसीम)  
मसूरी वन्हुभाग  
मसूरी